प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 21.09.2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत अनुपूरक मांगो के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत अनुपूरक मांगो के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि को संलग्न में उल्लिखित विवरण के अनुसार रू0 60,00,000.00 (रूपये साठ लाख मात्र) की धनराशि नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय संलग्न में उल्लिखित मंदो पर ही व्यय किया जायेगा एवं किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि की सीमा तक ही व्यय स्वीकृत किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक-"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग"-आयोजनेत्तर की योजनाओं की सुंसगत इकाईयों/मदों, जिनका वर्णन इस शासनादेश के संलग्नक में दिया गया है, के नाम डाला जायेगा।

भवदीय

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3329(1)/86-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार लेखा परीक्षा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
8. गार्ड बुक

आज्ञा से,
(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2772/86-2015-219/2015, दिनांक 21.09.2015 का संलग्नक

अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) वित्तीय वर्ष 2015-16

(रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मदें	स्वीकृत धनराशि
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग"-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशनन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना	
09-विद्युत देय	3000
017-किराया, उपशुल्क और करस्वामित्व	1500
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग"-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण	
10-जलकर/जल प्रभार	1500
कुल योग 2853 (001) 03 प्लस (004) 03	6000

(गेन्दन लाल)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।